न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 16 / 2023	30.10.2023	31.07.2024

1–एच.डी.बी.फाईनशियल सर्विसेज लिमिटेड कॉपरेट ऑफिस सैकिण्ड फलोर, प्रोसेस हाउस कमला मिलस कम्पाउण्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई– 400013, क्षेत्रिय कार्यालय द्वितीय फलोर, स्कीम न. 1 विजय मंन्दिर रोड, भगत सिंह चौराहे के पास, अलवर (राजस्थान) 301001,

प्रार्थी

बनाम

1–सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना चौपानकी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रकिया संहिता वाहन बोलेरो पिअप सी.बी.सी रजिस्ट्रेशन संख्या एच.आर 47 ई–7323

उपस्थितः–

01. श्री रामकिशन सोनी –वकील प्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रकिया संहिता पेश कर प्रथम सूचना रिपोर्ट 351 / 2022 पुलिस थाना चौपानकी अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत पेश कर प्रकरण में जप्त शुदा वाहन बोलेरो पिअप सी.बी.सी रजिस्ट्रेशन संख्या एच. आर. 47– 7323 को सुपुर्दगी मे प्राप्त किये जाने हेतु पेश किया है।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय संस्थान है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है। प्रार्थी कम्पनी ने विनोद कुमार को जिन शर्तो पर वाहन पर वित्तीय सुविधा दी जानी थी, उसकी समस्त शर्तो से अवगत करा दिया गया, विनोद कुमार ने प्रार्थी कम्पनी द्वारा बतायी गयी समस्त शर्तो से सन्तुष्ट हो गया। प्रक्रिया पूर्ण कर दिनाक 29.07.2022 को विनोद कुमार ने कम्पनी से 8,29,661.00 रूपये की वित्तीय सुविधा अनुबन्ध खाता संख्या 25893849 निष्पादित कर प्राप्त की प्रार्थी कम्पनी द्वारा जिस वाहन पर वित्तीय सुविधा प्रदान की उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एच.आर. 47–ई– 7323 ईजन नम्बर टी.एन.एन.1 एफ. 72578 एंव चैचिस नम्बर एम.ए. 1 जेड. यू.– 2 टी. एन. कें. एन. 1 एफ. 58229 है। अनुबन्ध के तहत विनोद कुमार ने निष्पादित लोन अनुबन्ध में इस बात पर सहमति प्रदान की विनोद कुमार ने वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं वाहन पर वित्तीय सुविधा का उपभोग करते समय अनुबन्ध की शर्तो की पालना नही की एवं अनुबन्धोनुसार किश्तो की अदायगी में चूक करना प्रारम्भ कर। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अदायगी का तकाजा करने पर विनोद कुमार गुरेज करने लगा एंव टालमटोल करने लगा। विनोद कुमार वाहन को प्रार्थी को लौटाने को उत्तरदायी हो गया है। तथा विनोद कुमार अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त बकाया राशि प्रार्थी कम्पनी को अदा करने को उत्तरदायी हो गया। वाहन की तलाश करने पर ज्ञात हुआ है, कि वाहन को पुलिस थाना चौपानकी द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट 351 / 2022 में वजह सबूत जप्त

किया गया है। प्रार्थी वकील द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु विभिन्न माननीय न्यायालयो के द्वारा पारित निर्णयो की नजीरो का उल्लेख अंकित करते हुये प्रश्नगत वस्तुस्थिति में पक्षकारान के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की रूह में उपरोक्त वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर एच.आर. 47–ई– 7323 ईजन नम्बर टी.एन.एन.1 एफ. 72578 एंव चैचिस नम्बर एम.ए. 1 जेड. यू– 2 टी. एन. के एन. 1 एफ. 58229 की अभिरक्षा प्रार्थी कम्पनी को दिये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि विनोद कुमार ने वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं वाहन पर वित्तीय सुविधा का उपभोग करते समय अनुबन्ध की शर्तो की पालना नही की है। ऐसी स्थिति में जप्त शुदा को प्रार्थी कम्पनी को सुपुदर्गी पर दिया जावे। उक्त प्रकरण जप्त शुदा वाहन को सुपुदर्गी पर लेने बाबत है, प्रायः नियमानुसार जप्त शुदा वाहन को सुपुदर्गी पर दिये जाने हेतु वाहन मालिक का अधिकार होता है, उक्त प्रकरण में वाहन मालिक विनोद कुमार है, जिसको उक्त प्रार्थना, में प्रार्थी कम्पनी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है, प्रार्थी कम्पनी का कथन है, कि विनोद कुमार अनुबन्धो की शर्तो की पालना नही की गयी है, जिसके संबंध में सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अधिकार क्षैत्र न्यायालय हाजा को नही है। न्यायालय हाजा द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत केवल वाहन मालिक को ही जप्त शुदा वाहन को सुपुर्दर्गी में दिये जाने/नही दिये जाने का अधिकार क्षेत्र है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)